न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 49/2025 निर्णय दिनांकः 18.03.2026
ऑनलाईन नम्बर 2025/95

1.किरणनाथ पत्नि रमणनाथ 2. मांगीलाल नाथ पुत्र रमणनाथ 3. राजेश नाथ पुत्र रमणनाथ 4. मनोज नाथ पुत्र रमणनाथ जाति नाथ निवासीगण बापेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ हाल बीकानेर।

—प्रार्थीगण—

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 2. मोहरी पत्नि 3. गोपालनाथ पुत्र 4. गोरांदेवी पुत्री 5. टपादेवी पुत्री 6. दीपनाथ पुत्र 7. मलनाथ पुत्र 8. मूलनाथ पुत्र 9. रामीदेवी पुत्री स्व. जगन्नाथ जाति नाथ निवासीगण बापेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री मदनगोपाल स्वामी अभिभाषक प्रार्थी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम सपठित धारा 88 आरटीए

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि यह हैं कि प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र निम्नलिखित आधारों पर सादर प्रस्तुत है प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 ता 9 ग्राम बापेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के स्थायी निवासीगण हैं। प्रार्थीगण वर्तमान में बीकानेर रिहायश करते हैं जिनकी संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 625 तादादी 5.0600 हैक्टेयर रोही ग्राम बापेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है। वादगत खेतों में प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा स्थित है। वादगत खेत की खातेदारी पूर्व में प्रार्थीगण के ससुर/दादा जगनाथ वल्द रूघनाथ के नाम दर्ज थी । प्रार्थीगण के ससुर/दादा जगनाथ कि मृत्युपरान्त वादगत खेत की विरास्तन खातेदारी इंतकाल संख्या 206 दिनांक 10.03.2011 के जरिये प्रार्थीगण के ससुर/दादा जगनाथ जी के सभी वारिसानों के नाम से दर्ज की गयी । प्रार्थीगण के पति/पिता रमणनाथ की मृत्यु हो चुकी थी इसलिए उनके 1/8 हिस्सा की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम से दर्ज की गयी । प्रार्थीगण के ससुर/दादा की मृत्युपरान्त वादगत खेत का विरास्तन इंतकाल दर्ज किया गया तब वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 का गांव में बोलता नाम क्रमशः चीनादेवी ध.प. रमणनाथ, मांगनाथ, आसूनाथ, मनोहरनाथ पुत्रगण रमणनाथ दर्ज कर दिया गया जो गलत अंकित हैं, प्रार्थीगण का वास्तविक व सही नाम क्रमशः किरण नाथ पत्नि रमणनाथ, मांगीलाल नाथ, राजेश नाथ, मनोज नाथ पुत्रगण रमणनाथ हैं जो प्रार्थीगण के सभी सरकारी एवं अद्धसरकारी दस्तावेजों में दर्ज हैं । वादगत खेतों के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम शुद्ध दर्ज नही होने से प्रार्थीगण को के.सी.सी. ऋण लेने व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाई आ रही है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के माध्यम से वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाकर अपना नाम किरण नाथ पत्नि रमणनाथ, मांगीलाल नाथ, राजेश नाथ, मनोज नाथ पुत्रगण रमणनाथ अंकित करवाना चाहते हैं । प्रार्थीगण वादगत खेत के कागजात रिकार्डेड खातेदार होने से राजस्व रिकार्ड में अपना नाम शुद्ध दर्ज करवाने के अधिकारी हैं । प्रार्थीगण ने वादगत खेतों के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम शुद्ध अंकित करने हेतु दिनांक 10.03.2025 को अप्रार्थी से निवेदन किया तो अप्रार्थी ने सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना राजस्व रिकार्ड में नाम शुद्ध दर्ज करने से इन्कार कर दिया । अप्रार्थी द्वारा किये गये इन्कार के कारण प्रार्थीगण को अप्रार्थी के विरूद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.04.28 16:14:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

वादहेतू प्राप्त है एवं वादगत खेतों के खातेदार कृषक होने से प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने आधार प्राप्त है। अप्रार्थी संख्या 2 ता 9 वादगत खेत के संयुक्त खातेदार होने से गौण अप्रार्थी पक्षकार संयोजित किया गया हैं । अप्रार्थी संख्या 2 ता 9 के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा गया है। प्रार्थीगण ग्राम बापेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के स्थायी निवासीगण हैं एवं वादगत खेत ग्राम बापेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ की रोही में स्थित हैं इसलिए प्रार्थना पत्र मान्नीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है । प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फिस एवं हर प्रकार से अन्दर मियांद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् जी से निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादगत खेत खसरा नम्बर 625 क्षेत्रफल 5.0600 हैक्टेयर रोही ग्राम बापेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थीगण के नाम चीनादेवी ध.प. रमणनाथ, मांगनाथ, आसूनाथ, मनोहरनाथ पुत्रगण रमणनाथ जाति नाथ निवासी बापेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर की जगह क्रमशः किरण नाथ पत्नि रमणनाथ, मांगीलाल नाथ, राजेश नाथ, मनोज नाथ पुत्रगण रमणनाथ जाति नाथ निवासी बापेऊ हाल बीकानेर दर्ज करने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान किया जावें । अन्य कोई अनुतोष जो हितकर प्रार्थीगण हो या दौराने प्रार्थना पत्र हितकर प्रार्थीगण हो जावें वह भी प्रदान किया जावें ।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 व धारा 151 सी.पी.सी. पेश किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 व धारा 151 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 9 का नाम डिलीट किये जाना का आदेश दिया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य प्रार्थी हेतु किरण नाथ, मांगीलाल नाथ, राजेश नाथ, मनोज नाथ के शपथ पत्र पेश किये गये। दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। किरण नाथ, मांगीलाल नाथ, राजेश नाथ, मनोज नाथ के बयान लेखबद्ध किये गये। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 625 क्षेत्रफल 5.0600 हैक्टेयर रोही ग्राम बापेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थीगण के नाम 'चीनादेवी पत्नि रमणनाथ, मांगनाथ, आसूनाथ, मनोहरनाथ, पुत्रगण रमणनाथ जाति नाथ निवासी बापेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर' के स्थान पर क्रमशः 'किरण नाथ पत्नि रमणनाथ, मांगीलाल नाथ, राजेश नाथ, मनोज नाथ पुत्रगण रमणनाथ जाति नाथ निवासी बापेऊ हाल बीकानेर' दर्ज करके राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 18.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर) [seal]

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.04.28 16:14:10 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)